GST Hindi Update on circular No.137

CBIC द्वारा Circular No. 137/7/2020-GST दिनांक 13-04-2020 जारी किया जिसमें कुछ Issue पर Clarificatin दिया गया है। इसमें से काफी सारे clarifications बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अभी जो अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है, अगर यह माल के प्रति है तो उस पर जीएसटी लगाना जरूरी नहीं है। CBIC द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 66/2017-CGST दिनांक 15-11-2017 से Advances On Goods पर GST टैक्स से मुक्त कर दिया था। परंतु सर्विस के संबंधित अग्रिम भुगतान पर आज भी जीएसटी देना होता है। अभी इस संबंध में सीबीआई सी ने कुछ clarification किए हैं

यदि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अग्रिम भुगतान प्राप्त किया। इस संबंध में पार्टी को बिल भी जारी कर दिया है और उस पर GST टैक्स का भुगतान किया है तो इस स्थिति में सर्विस प्रोवाइडर को धारा 34 के तहत Credit Note जारी करेगा। यह क्रेडिट नोट GSTR-1 रिटर्न में दर्शाया जाएगा। तथा GSTR-3B में उस मास की Output टैक्स Liability में से कम करना होगा। यदि यह Liabilty Adjust नहीं होती है तो उसके लिए Servive Provider को ज्यादा जीएसटी भुगतान का रिफंड लेना होगा। इसके लिए उसको RFD-01 फाइल करना होगा

परंतु यदि सर्विस प्रदाता ने अग्रिम भुगतान के लिए रिसिप्ट वाउचर जारी किया है तथा इनवॉइस जारी नहीं किया है ओर यह सर्विस आगे जाकर रद्द हो जाती है तो उसका रिफंड ही लगाना होगा। इस स्थिति में सेवा प्रदाता को Section 31(3)(e) of CGST Act के तहत रिफंड वाउचर जारी करना होगा। Supplier form RFD-1 मे एक्सेस पेमेंट ऑफ़ टैक्स के लिए रिफंड फ़ाइल करेगा । या एक अति महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन है। वर्तमान स्थितियों में कोविड-19 के कारण काफी सारी सर्विस कैंसिल हो गई है। उदाहरण के लिए एक विदेशी पर्यटक ने जोधपुर में रूम बुक कराया परंतु वह कोविड-19 स्थिति के कारण होटल में नहीं आ पाया इस कारण सर्विस रद्द हो गई और होटल में अपनी साख को देखते हुए यह अग्रिम भुगतान भी वापिस कर दिया। ऐसी स्थिति में अग्रिम भुगतान पर जो जीएसटी का भुगतान सरकार को किया गया है उसका सरकार वापस दे देगी। अभी तक इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं था। पर अब यह स्थिति स्पष्ट करने पर करदाताओं को काफी राहत महसूस होगी।

एक और स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि यदि सप्लायर द्वारा बेचे गए माल को वापिस भेज दिया जाता है तो उस स्थिति मे माल भेजने वाला क्रेडिट नोट जारी करेगा तथा इस क्रेडिट नोट को जीएसटी R1 में दर्शएगा तथा इसे gstr-3b return में output liability मे से कम करेगा। रिफंड

उस स्थिति में ही फाइल किया जाएगा जब क्रेडिट नोट के against मे आउटपुट liabilty नहीं है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति में काफी सारा माल वापस आएगा या फिर सर्विस कैंसिल हो जाएगी। परंतु इस मार्च 2 अप्रैल के माह में माल की बिक्री अथवा सर्विसेस के बिल बहुत ही कम होंगे। ऐसे में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकार द्वारा इस स्थिति को देखते हुए इस तरह के स्पष्टीकरण देना एक बहुत ही सराहनीय कदम है।

एक और स्पष्टीकरण जोकि निर्यातकों के मध्य में बहुत ही चर्चा का विषय था कि LUT (लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग) हां वित्तीय वर्ष में फाइल करनी होती है तो क्या 1 अप्रैल 2020 को भी इसको फाइल करना आवश्यक है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था तथा उससे सेक्शन 168A कोinsert किया था। इस सेक्शन में प्रदत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 35/2020-Central Tax dated 03.04.2020 जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कोई भी कार्य जो कि जीएसटी एक्ट में करना आवश्यक है तथा उसको करने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 तक है तो उसको करने की अंतिम तिथि 30/6/2020 तक मानी जाएगी। अतः LUT (लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग) की अंतिम तिथि भी 30/6/ 2020 तक हो जाएगी। यदि कोई एक्सपोर्टर गुड्स का एक्सपोर्ट दिनांक 01-04-2020 से 30-06-2020 की अवधि मे करता है तो पुरानी LUT के नंबर का reference डालकर कर सकता है।

एक और स्पष्टीकरण टीडीएस के रिटर्न के बारे में दिया गया है। जीएसटी में टीडीएस रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अभी आ रही थी परंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 से सरकार ने कोई भी कार्य जिसको करने की अवधि जीएसटी एक्ट में 20-03-2020 से 29-06-2020 के मध्य में पढ़ती है तो उस तो उस कार्य को करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 हो जाएगी। टीडीएस रिटर्न जोकि सेक्शन 39(3) मैं फाइल होते हैं वह भी इस नोटिफिकेशन के तहत आता है।टीडीएस रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 30 जून 2020 है। इसको 30 जून 2020 तक भरने पर किसी तरह का ब्याज भी नहीं देना होगा।

टीडीएस रिटर्न वह LUT के बारे में हमने अपने पाठकों को पहले ही बता दिया था। तथा सरकार द्वारा इसको और स्पष्ट करने पर व्यापार व उद्योग जगत को इसका स्वागत करना चाहिए।
इस सर्कुलर में सरकार ने एक और स्पष्टीकरण दिया है की जीएसटी रिफंड लगाने की अंतिम तारीख relevant date 2 साल होती है। परंतु अगर कोई रिफंड क्लेम की अंतिम तिथि 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के मध्य में पढ़ती है तो ऊपर वर्णित नोटिफिकेशन 35/2020-Central Tax dated 0 3.04.2020 के तहत इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2020 हो जाएगी। यह relevant date सेक्शन 54 के पैरा 2 के एक्सप्लेनेशन में दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट

किया है के रिफंड क्लेम में सभी तरह के रिफंड क्लेम चाहे निर्यात के कारण रिफंड, निर्यात पर IGST का भुगतान करके रिफंड, इनवर्टेड ड्यूटी पेमेंट का रिफंड, डीम्ड एक्सपोर्ट पर रिफंड, appeal या order से रिफंड इत्यादि सभी रिफंड इसमें शामिल है।

जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है यह सभी स्पष्टीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इससे विसंगतियों को दूर करते हुए व्यापार और उद्योग जगत की बहुत अधिक सहायता होगी। सरकार, सीबीआइसी के अधिकारीगण व कर्मचारी गण पूर्ण तत्परता से उद्योग व व्यापार जगत की मदद कर रहे हैं यह इस बात से भी स्पष्ट है की कोविड-19 से उत्पन्न मुश्किल परिस्थितियों में भी यह सभी अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी कार्यालय में आकर इन सभी तरह के स्पष्टीकरण दे रहे हैं ताकि करदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इन सबके लिए व्यापार व उद्योग जगत इन सभी का कोटि-कोटि धन्यवाद करता है। इस अपडेट के लेखक के क्लाइंट को भी इस मुश्किल समय में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था परंतु अधिकारी व कर्मचारी गणों ने उनकी पूरी तरह से सहायता की तथा इन दिक्कतों को दूर करने में पूर्ण सहयोग किया। रिफंड के एक अटके हुए matter मैं कस्टम के एक अधिकारी ने अपने जूरिडिक्शन से बाहर के रिफंड को दिलाने में पूर्ण सहयोग दिया। इस मुश्किल समय में इस तरह का सहयोग बहुत ही प्रशंसनीय है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.